

जन सूचना

किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 और 78 के तहत बच्चो के विरुद्ध किया गया अपराधिक कृत्य एक दंडनीय अपराध है।

निम्न प्रकार के व्यक्तियों से बच्चो की सुरक्षा करें:-

- ❖ ऐसा व्यक्ति जो बिना चिकित्सकीय परामर्श के बच्चों को नशीले पदार्थ अथवा दवा एवं मादक द्रव्य पदार्थ उपलब्ध कराता है या अन्य किसी के माध्यम से उपलब्ध करवाता है।
- ❖ ऐसा व्यक्ति जो बच्चों का उपयोग नशीले पदार्थ एवं मादक द्रव्य पदार्थ की बिक्री, आपूर्ति एवं तस्करी हेतु करता है।

उक्त प्रकार के प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को सश्रम कारावास जो अधिकतम सात वर्ष की अवधि तक हो सकता है एवं एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

जनहित में जारी



महिला एवं बाल विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
बाल संरक्षण ईकाई

1-ए, प0 रविशंकर शुक्ला लेन, के0 जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001

PUBLIC NOTICE

Crimes against children are punishable offence under Section 77 & 78 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015

Protect a child from a person -

- Whoever gives, or causes to be given, to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance, except on the order of a duly qualified medical practitioner.
- Whoever uses a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance.

The person who is found guilty shall be punishable with rigorous imprisonment or shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend up to seven years and shall also be liable to a fine which may extend up to one lakh rupees.

Issued in the public interest by:



Department of Women & Child Development
Govt. of NCT of Delhi
(Child Protection Unit)

1-A, Pt. Ravi Shankar Shukla Lane, K.G. Marg, New Delhi -
110001